प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 12 मई, 2022

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कदीर पुत्र श्री नजीर, निवासी जनपद-अलीगढ़ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34853/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-28.10.2021) दिनांक-02.11.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कदीर पुत्र श्री नजीर, कस्बा व थाना-चंडौस, जनपद-अलीगढ़ का निवासी है। बंदी कदीर व रहीस वादी के भाई अफसर (मृतक) के साथ ट्रक पर ड्राईवरी व हेल्परी की नौकरी करते थे, दोनों पर अफसर के रू0 5000/- उधार थे। अफसर कई दिनों से पैसे मांग रहा था। इसी कारण बंदी ने दिनांक 01.07.2005 को 9:30 बजे सहअभियुक्त रहीस के साथ मिलकर अफसर उर्फ गट्टा को घर से बुलाकर ले गये और बाजार चंडौस में बातचीत के दौरान अचानक छुरों से मारकर व गोदकर अफसर नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-28/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-06, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 19.02.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.02.2019 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 21.02.2021 तक 15 वर्ष 07 माह 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 09 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। **जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को समग्ररूप से प्रभावित किये जाने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल से छूटने पर परिवार के अन्य लोगों के साथ अपराध कर सकने एवं समयपूर्व रिहाई हेतु परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई के संबंध में 10 बिन्दुओं में अंकित किया गया है कि बंदी के रिहा होने से पास-पड़ोस में भय का वातावरण व्याप्त होने, मृतक के संबंधी बदले की भावना से बंदी के ऊपर हमला हो सकने, रिहा होने पर बंदी की जान-माल की असुरक्षा होने, पैरोल व गृह अवकाश प्रदत्त नहीं होने, बंदी के सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध होने, अपराध समाज विरोधी प्रकृति का होने के कारण समयपूर्व रिहाई का प्रबल विरोध किया गया है।**

बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी द्वारा अपरिहार 15 वर्ष 07 माह 17 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष 09 माह 08 दिन की भोगी गयी सजा, सन्तोषजनक जेल आचरण, जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा निर्धारित 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किये जाने एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की 10 बिन्दुओं की आख्या में बिन्दु सं0-04 में अंकित आख्यानुसार सिद्धदोष बंदी का पूर्व अपराधिक विवरण शून्य होने तथा बिन्दु सं0-7 में अंकित आख्यानुसार वर्तमान में कोई विवाद नहीं होने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कदीर पुत्र श्री नजीर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है, **किन्तु जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सक्षम स्तर पर बंदी की समयपूर्व रिहाई को अस्वीकार कर दिया गया है।**

3- मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) संख्या-4358/2021 कदीर बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.08.2021 का क्रियात्मक अंश निम्नवत है:-

" ..... 5. We direct the Senior Jail Superintendent, Central Jail Agra to inform the applicant–convict of his right to submit an application for pre mature release in accordance with the applicable rules and regulations. In the event that any legal aid or assistance for that purpose is required, the Senior Jail Superintendent shall intimate the District Legal Services Authority within two weeks of the receipt of this order. The DLSA shall make available the requisite assistance so that the petitioner is in a position to submit an application for pre mature release. Upon such an application being filed, it shall be disposed of within a period of three months by the competent authority in accordance with the rules and regulations...."

4- अत: मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) संख्या-4358/2021 कदीर बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.08.2021 के समादर में तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कदीर (बन्दी संख्या-15796) पुत्र श्री नजीर, निवासी जनपद-अलीगढ़ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-25/2022/2372(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-25/2022/2372/22-2-2021-17(919)/2021

दिनांक 12 मई, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कदीर पुत्र श्री नजीर, कस्बा व थाना-चंडौस, जनपद-अलीगढ़ का निवासी है। बंदी कदीर व रहीस वादी के भाई अफसर (मृतक) के साथ ट्रक पर ड्राईवरी व हेल्परी की नौकरी करते थे, दोनों पर अफसर के रू0 5000/- उधार थे। अफसर कई दिनों से पैसे मांग रहा था। इसी कारण बंदी ने दिनांक 01.07.2005 को 9:30 बजे सहअभियुक्त रहीस के साथ मिलकर अफसर उर्फ गट्टा को घर से बुलाकर ले गये और बाजार चंडौस में बातचीत के दौरान अचानक छुरों से मारकर व गोदकर अफसर नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-28/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-06, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 19.02.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.02.2019 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 21.02.2021 तक 15 वर्ष 07 माह 17 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 09 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। **जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को समग्ररूप से प्रभावित किये जाने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल से छूटने पर परिवार के अन्य लोगों के साथ अपराध कर सकने एवं समयपूर्व रिहाई हेतु परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई के संबंध में 10 बिन्दुओं में अंकित किया गया है कि बंदी के रिहा होने से पास-पड़ोस में भय का वातावरण व्याप्त होने, मृतक के संबंधी बदले की भावना से बंदी के ऊपर हमला हो सकने, रिहा होने पर बंदी की जान-माल की असुरक्षा होने, पैरोल व गृह अवकाश प्रदत्त नहीं होने, बंदी के सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध होने, अपराध समाज विरोधी प्रकृति का होने के कारण समयपूर्व रिहाई का प्रबल विरोध किया गया है।**

बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी द्वारा अपरिहार 15 वर्ष 07 माह 17 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष 09 माह 08 दिन की भोगी गयी सजा, सन्तोषजनक जेल आचरण, जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा निर्धारित 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किये जाने एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की 10 बिन्दुओं की आख्या में बिन्दु सं0-04 में अंकित आख्यानुसार सिद्धदोष बंदी का पूर्व अपराधिक विवरण शून्य होने तथा बिन्दु सं0-7 में अंकित आख्यानुसार वर्तमान में कोई विवाद नहीं होने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कदीर पुत्र श्री नजीर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति की गयी है, **किन्तु जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सक्षम स्तर पर बंदी की समयपूर्व रिहाई को अस्वीकार कर दिया गया है।**

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in